न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2875/2004/बीकानेर

1. गंगाराम पुत्र श्री हेमाराम जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दसर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

.....**अपीलांट**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कोलायत जिला बीकानेर।

..... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अजीतसिंह अधिवक्ता, अपीलांट।
(2) श्री ओ0पी0 भट्ट अति0 राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1

निर्णय

दिनांक :9 जुलाई, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–05–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा सहायक आयुक्त, उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02–4–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 115/2003 शीर्षक गंगाराम बनाम राज्य सरकार खारिज की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अप्रार्थी/रेस्पो0 के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 481 रकबा 111 बीघा 10 बिस्वा

जिसके हाल ख0 नं0 644 रकबा 116 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम बीठनोक तहसील कोलायत में स्थित है। वादग्रस्त आराजी स्टेट के समय में गांव के जागीरदार मेहताबसिंह से काश्त हेतु ली थी तब से आज दिनांक तक लगातार काबिज चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी के बाबत नायब तहसीलदार ने प्रार्थी/अपीलांट को धारा 91 को नोटिस दिया जबकि वादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2010 से ही प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। नायब तहसीलदार ने प्रार्थी/अपीलांट ब्द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य तथा मौके की वास्तविक स्थिति की हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जिसमें प्रार्थी/अपीलांट का सम्वत् 2019 से लगातार काबिज होना माना। उक्त साक्ष्य एवं रेकार्ड के आधार पर नायब तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 20-11-1967 को प्रार्थी/अपीलांट को वादग्रस्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त होना सिद्ध होने पर गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश कर दिया जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर विचारण न्यायालय सहायक आयुक्त, उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर ने दोनों पक्षों की बहस व रेकार्ड अनुसार दिनांक 18-11-1983 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में रेफरेन्स सं0 17/96 सरकार बनाम गंगाराम प्रस्तुत किया गया जिसमें मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 31-12-1998 को रेफरेन्स स्वीकार कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 18-11-1983 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिसमें दिनांक 24-4-2001 को रिट याचिका स्वीकार कर पुनः परीक्षण न्यायालय सहायक आयुक्त, उपनिवेशन को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की बिना पालना किये अपने निर्णय दिनांक 2-4-2003 से प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र को निर्णित एवं डिक्री मुर्तिब करते हुए निरस्त कर दिया जिसकी प्रथम अपील न्यायालय अतिरित आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28-5-2004 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 28-5-2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि विवादित आराजी अपीलांट ने गांव के जागीरदार मेहताबसिंह से सम्वत् 2010 से काश्त पर ली तब से आदिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। नायब तहसीलदार ने भी प्रकरण सं0 104/67 में अपने आदेश दिनांक 20–11–67 में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होना मानते हुए अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बीठनोक के जागीरदार महताबसिंह की आराजी थी जो स्टेट रिज्यूम होने से पूर्व से ही जागीरदार से विवादित भूमि काश्त हेतु अपीलांट ने ली थी। अपीलांट ने राजस्व रेकार्ड, लगान रसीन, निर्णय नायब तहसीलदार, नकल गिरदावरी व साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद को सिद्ध किया है। परीक्षण न्यायालय ने भी अपने निर्णय के बिन्दु सं0 2 में आराजी पर स्टेट रिज्यूम होने से पूर्व अपीलांट का कब्जा माना है। परीक्षण न्यायालय ने बिना स्वविवेक उक्त प्रकरण को गैर कानूनी तरीके से खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। बहस में आगे कहा कि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री को पारित करते समय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की बिना पालना किये गैर कानूनी निर्णय पारित किया है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–11–1967 का है जो आदिनांक तक बहाल है एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध आज तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। बहस में आगे कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व बिना तकनीयात कायम किये सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलीय न्यायालय को तनकीयात कायम करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं और नायब तहसीलदार कोलायत द्धारा पारित आदेश दिनांक 20–11–1967 को बहाल रखते हुए अपीलांट को खातेदार घोषित किया जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 1959 आर.आर.डी. पेज 182 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

5– इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता रैस्पोर्डेट का तर्क है कि सम्वत् 2006, 2020 पुख्ता सैटलमेन्ट व उपनिवेशन विभाग के सर्वे के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजकीय आराजी बतायी गयी है तथा उक्त आराजी पर अपीलांट का रेकार्डेड कब्जा नहीं है। जागीर रिज्यूम

होने के बाद ख0 नं0 481 तादामी 116 बीघा मिल्कियत सरकार के खाते में दर्ज रही है एवं सम्वत् 2020 के बन्दोबस्त में भी आराजी राज रही है। अपीलांट ने ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा पुख्ता सैटलमेन्ट के समय होना पाया जाता हो। इसलिए परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्धारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, वह विधिसम्मत एवं कानून सम्मत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावें।

6- हमने विद्धान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी के नाम गैर खातेदारी भूमि दर्ज होना तथा कुछ रकबे पर काश्त होना दर्ज किया गया है। सम्वत् 2055 में भूमि राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार आराजी राज दर्ज हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि सहायक आयुक्त, उप निवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 18-11-1983 से गैर खातेदार दर्ज हुई, वह आदेश राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 31-12-1998 द्धारा निरस्त किया गया। नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2020 प्राप्त हुई है जिसके अनुसार विवादित भूमि आराजी राज है। पुख्ता सैटलमेन्ट मौका की जाँच व पैमाईश की जाकर, आपत्तियां सुनी जाकर रेकार्ड तैयार किया जाता है। अतः यह प्रविष्ठि सही है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना है कि ''वादी ने विवादित भूमि पर वादी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी का कब्जा काश्त पुख्ता सैटलमेन्ट की अवधि एवं उसके बाद निरन्तर होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी का कब्जा काश्त सम्वत् 2006 से 2019 तक निरन्तर होना नहीं पाया जाता है। विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने से पूर्व राजस्व विभाग के अधीन रही है। प्रार्थी द्धारा वहां भी भूमि आवंटन हेतु प्रयास किया जाना नहीं पाया जाता है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24-4-2001 में दिये गये निर्देशानुसार वादी द्धारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वह कोई अनुतोष पाने का हक प्रतीत नहीं होने से रिमाण्ड प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज योग्य माना है।'' इसके अलावा अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में पाया कि सम्वत् 2006, 2020 पुख्ता सैटलमेन्ट व उपनिवेश्न विभाग के सर्वे के अनुसार विवादित भूमि राजकीय होनी बतायी गयी है तथा अपीलांट का रेकार्डेड कब्जा नहीं है।

इसलिए हमारी विनम्र राय में वादी का वाद परीक्षण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट का रेकार्डेड कब्जा नहीं होने से वादग्रस्त आराजी राजकीय होना मानने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए परीक्षण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय का आदेश युक्तियुक्त व न्यायसंगत है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2–4–2003 व अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2004 यथावत् रखी जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य